



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1944 (श10)
(सं० पटना 435) पटना, शुक्रवार, 4 जुलाई 2022

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

23 जून 2022

सं० 01/स्था०(मु०)-02/014-157-सू०ज०स०वि०—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा अपर जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2012 का संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ—(1) यह नियमावली अपर जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवा-शर्तें) (संशोधन) नियमावली 2022 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2012 की **अध्याय-4 के नियम-6 का उपनियम-(ii)** को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“**पात्रता**—अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा उसके समकक्ष डिग्री एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से पत्रकारिता में न्यूनतम एक वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अनिवार्य होगा।”

3. उक्त नियमावली, 2012 की **अध्याय-4 की नियम-6 का उपनियम -(iv)** में निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा:-

“अपर जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी की सीधी भर्ती हेतु आयोजित की जानेवाली लिखित परीक्षा (मुख्य परीक्षा) का पाठ्यक्रम सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श के आलोक में तैयार किया जायेगा।

अभ्यर्थियों का मेधा सूची सभी पत्रों के कुल प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया जायेगा। सभी पत्रों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।”

4. उक्त नियमावली, 2012 की **अध्याय-4 की नियम-6 का उपनियम-(V)** को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“आयोग अभ्यर्थियों का न्यूनतम अर्हतांक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्र के आधार पर निर्धारित करेगा, और ऐसी तैयार की गयी सूची में से आयोग अभ्यर्थियों की उतनी संख्या की अनुशंसा करेगा जितनी संख्या में रिक्तियाँ प्रतिवेदित की गयी हो।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/(अस्पष्ट),
सरकार के अवर सचिव।

The 23 June 2022

No.-01/Stha. (Mu.)-02/014-157-IPRD--In exercise of the powers conferred by the Proviso of article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following Rules to amend the Bihar Additional District Public Relations Officer Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2012.

1. Short title, extent and commencement - (1) These rules may be called the Bihar Additional District Public Relations Officer Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2022.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of publication in the official gazette.

2. Sub-rule-(ii) of Rule-6 of chapter-4 of the said-Rules, 2012 shall be substituted as follows:-

"Eligibility-The candidate must have a bachelor degree or its equivalent degree from a recognized university and a minimum one-year Post Graduate Diploma in Journalism from a recognized university/institution."

3. Sub-rule-(iv) of Rule-6 of chapter-4 of the said-Rules, 2012 shall be added as follows:-

"The syllabus for the written examination (Main examination) to be held for the direct recruitment of Additional District Public Relations Officer Cadre shall be prepared by the Information & Public Relations Department in light of the advice of the Bihar Staff Selection Commission.

The merit list of the candidate shall be prepared based on the marks obtained in all papers. To get minimum qualifying marks separately in all the papers shall be compulsory."

4. Sub-rule-(v) of Rule-6 of chapter-4 of the said-Rules, 2012 shall be substituted as follows:-

"The commission will fixed the minimum qualifying marks based on the resolution/letter issued by the General Administration Department from time to time, and the commission will recommend the number of candidates which has been reported in the vacancies."

By the Order of the Governor of Bihar,

Sd/-Illigible,

Under Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 435-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>